

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पास, जयपुर

क्रमांक एफ. 1 (8)()सामा./सान्याअवि/2021/564-17

जयपुर, दिनांक : 28-10-2021

कार्यालय आदेश

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके नाम के आगे अंकित परीक्षा में वर्ष 2020-21 व 2021-22 में शामिल होने की स्वीकृती निम्नांकित शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पद	नाम कार्यालय जिससे सम्बन्धित है।	परीक्षा का विवरण
1.	विद्या चौधरी	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी	निदेशालय विशेष योग्यजन	Ph.D (M-PAT) Entrance
2.	सुश्री ममता जाखड़	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी	ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सलुम्बर उदयपुर	M.A. (Geography)
3.	श्री बाबूलाल	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी	ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सुजानगढ	M.A. (Previous)
4.	श्री भवानी शंकर	छात्रावास अधीक्षक	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, साभरलेक	M.A. (Previous)
5.	श्री दीपक कुमार गुप्ता	छात्रावास अधीक्षक	मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुर्नवास गृह, जामडौली, जयपुर	M.A. (Previous)
6.	श्री राजेश कुमार	कनिष्ठ सहायक	ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सादुलशहर, श्रीगंगानगर	M.A. (Previous)
7.	श्री जीतराम चौधरी	कनिष्ठ सहायक	ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मालपुरा	M.A. (Previous)
8.	श्री प्रदीप कुमार सामरियों	कनिष्ठ सहायक	बाल अधिकारिता विभाग एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई भीलवाड़ा	B.A. 2 year
9.	श्री प्रणव पुंजोत	कनिष्ठ सहायक	ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सागवाडा, डूंगरपुर	M.Sc. (Math) 2year
10.	श्री मनोज सैन	कनिष्ठ सहायक	ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, लाडनू नागौर	M.A. (Previous)
11.	श्री पवन कुमार कागट	कनिष्ठ सहायक	ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, डेगाना, नागौर	M.A. (Previous)
12.	पूजा शेखावत	कनिष्ठ सहायक	ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, मकराना नागौर	M.A. (Previous)
13.	श्री मुकेश चौधरी	कनिष्ठ सहायक	ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, पाली	B.A. 3 year
14.	श्री मनीष मीना	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय सहायक निदेशक धौलपुर	B.Sc. 3 year
15.	श्री दिनेश शर्मा	कनिष्ठ सहायक	ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, चित्तौडगढ	MLIS

शर्तः-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित / स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत अधिक होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार की जिम्मेदार नहीं होगी।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. अधिकारी/कर्मचारी परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन के अन्दर अंकतलिका निदेशालय में प्रस्तुत करेंगे।
12. परीक्षा की अनुमति प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी स्वीकृति आदेश में उल्लेखित शर्तों की पूर्ण पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।

31

(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ. 1 (8)()सामा./सान्याअवि/2021/50418-28

जयपुर, दिनांक : 28.10.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, विशेष योग्यजन विभाग, जयपुर।
6. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....।
7. अधीक्षक/सम्प्रेक्षण गृह/किशोर गृह/शिशु गृह, सान्याअवि.....।
8. सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी श्री.....।
9. संयुक्त निदेशक, आई.टी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
10. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव